पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज. अधिनियम, 1994
पंचायत निगरानी संख्या : 45/2024 उनवान : विकास अधिकारी प.स. बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत भाटुन्द व अन्य

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.
पंचायत निगरानी संख्या : 45/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/51

प्रार्थी :–		अप्रार्थीगण :–
विकास अधिकारी पंचायत समिति, बाली	बनाम	1. सरपंच ग्राम पंचायत भाटुन्द 2. श्रवण कुमार पुत्र कन्हैयालाल त्रिवेदी जाति ब्राह्मण निवासी भाटुन्द तह. बाली जिला पाली राज.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज. अधिनियम, विरुद्ध ग्राम पंचायत भाटुन्द द्वारा जारी पट्टा संख्या 26 दिनांक 22.07.2017 क्षेत्रफल 1218.50 वर्गफीट को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण भण्डारी उपस्थित
2. अप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित

–:निर्णय:–

दिनांक: 29.07.2024

प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली ने एक निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या 2 को सरपंच ग्राम पंचायत भाटुन्द के पद पर रहते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत पट्टा संख्या 26 दिनांक 22 जुलाई 2017 क्षेत्रफल 1218.50 वर्ग फीट का जारी किया जो निरस्त योग्य है क्योंकि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत निर्मित भवन का पट्टा जारी किया जा सकता है न कि खाली भूमि का। उक्त पट्टा खाली भूमि पर जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है। साथ ही उक्त पट्टा सार्वजनिक कुएं की भूमि व रास्ते में आ रहा है जिससे रास्ता बाधित हो रहा है अतः पट्टा निरस्त योग्य है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत भाटुन्द द्वारा जारी पट्टा संख्या 26 दिनांक 22 जुलाई 2017 की वैधता,शुद्धता एवं मौलिकता के संबंध में आवश्यक परीक्षण किया जाकर निरस्त फरमाए।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी गण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 2 ने नोटिस लेने से इनकार करने पर एक तरफा कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय से पट्टा संबंधी मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी संख्या एक ने अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि विचाराधीन पट्टा संख्या 26 पूर्व सरपंच ने नियमों के विपरीत जारी किया है तथा उक्त पट्टा बनाने में काफी प्रकार की अनियमिताएं बरती गई है। नियमों के अनुरूप पट्टा नहीं बनने से उपरोक्त जारी किया गया पट्टा निरस्त किए जाने योग्य है। उक्त पट्टा नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है जो निर्मित भवन का नहीं होकर खाली भूमि का जारी किया है। पट्टे में वर्णित भूमि सार्वजनिक कुएं की जमीन एवं रास्ते में आ रही है जिससे रास्ता बाधित हो रहा है। उक्त नियमों की पालना नहीं होने से उक्त पट्टा निरस्त किए जाने योग्य है। दिनांक 5 मार्च 2024 को ग्राम पंचायत भाटुन्द की बैठक में प्रस्ताव संख्या 6 मे सभी सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लिया गया कि पूर्व में ग्राम पंचायत भाटुन्द द्वारा श्रवण कुमार के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया था वो सरकारी भूमि पर स्थित है तथा सरकारी भूमि में स्थित होने से उक्त पट्टा निरस्त किए जाने योग्य है। ग्राम पंचायत भाटुन्द के पूर्व सरपंच ने अपने सगे भाणेज को निजी लाभ पहुंचाते हुए सार्वजनिक कुए की भूमि पर पट्टा जारी किया जो पूर्ण रूप से अवैध है और रास्ते का जारी किया गया है जो नियमों के विपरीत होने से उक्त पट्टा निरस्त किए जाने योग्य है अतः

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज. अधिनियम, 1994
पंचायत निगरानी संख्या : 45/2024 उनवान : विकास अधिकारी प.स. बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत भाटुन्द व अन्य

जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि यह अप्रार्थी संख्या दो को जारी पट्टा संख्या 26 दिनांक 22 जुलाई 2017 को निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक ने अपनी बहस प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि पूर्व सरपंच ने नियमों की अवहेलना करते हुए अपने निकट रिश्तेदार को पट्टा जारी किया है जो रास्ते की भूमि पर कुए की जमीन में है एवं निर्मित मकान का न होकर खाली जमीन का दिया गया है जो खारिज योग्य है अतः उक्त पट्टे को निरस्त किया जाना फरमाए।

प्रस्तुत निगरानी,अधीनस्थ ग्राम पंचायत के मूल रिकॉर्ड, अप्रार्थी संख्या एक का जवाब,निगरानी के साथ प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का गंभीरता से अवलोकन किया गया। स्पष्ट है कि पंचायती राज नियम 157(1) के अंतर्गत पुराने निर्मित भवनों के लिए ही पट्टा जारी किया जा सकता है खाली भूमि पर नहीं। सार्वजनिक कुएं की भूमि एवं रास्ते की भूमि पर पट्टा दिए जाना नियमों की अवहेलना है।

अतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत भाटुन्द द्वारा जारी किया गया पट्टा संख्या 26 दिनांक 22 जुलाई 2017 को निरस्त किया जाता है पालना हेतु संबंधित को लिखा जाए। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का मूल रिकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

2/7/24
(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner